

26/4/18

आज प.० ए. आ. ७० वीं मिनियुट
जनरल ता. दी गई गत आदेशों
की पालना में दिनांक 5/7/18
को पत्र हो 3

राज्य सरकार
न्याय आदेश क्र 2018

26-6-18

प्रभावती राजाराम लोक अदालत इकाई
के निर्माण-कार्य में देरी हुई। प्रभावती
इस प्रभावती पर उपाय लिये। रिपोर्ट का
अवलोकन किया गया। वापस आने
के बाद रिपोर्ट के द्वारा दिनांक 2/9/81
के जारी की गई रिपोर्ट के
द्वारा प्रभावती को 2 दिनों के
विद्युत सिग्नल देना है। रिपोर्ट के
के 38 वर्ष के पुत्र हैं। वे भी रिपोर्ट में
उपस्थित लोगों में प्रभावती के पुत्र
इस उपर मुद्रा अर्थात् प्रभावती को
पुनरा अदालत कार्य में प्रभाव
में है। रिपोर्ट के रिपोर्ट के द्वारा
उसके जीवन का भी अर्थात् रिपोर्ट
किया गया है। रिपोर्ट के रिपोर्ट



राज्य सरकार
न्याय आदेश क्र 2018

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियलस जज

नम्बर व
अहकाम
हुकम की
में जारी

पूर्ण आदेशना लिखित रूप में वादियों
 के द्वारा उक्त प्रमाणों का प्रस्तुत किया
 कि जो वादियों को जमाने के लिये प्रमाण
 नहीं है। उक्त वादी संख्या 2 विधिगत को
 जो पारसि मसौदा विधिगत प्रमाणों के
 मय काबिल मानकर मान्यता दे। अतः
 उक्त वादियों का आदेशना ही वादियों
 मय काबिल मानकर प्रमाणित नहीं है।
 अतः वादियों का वाद खारिज
 किया जाता है। पर्याप्त विधिगारी है।
 उक्त वादी संख्या 2 का प्रमाण प्रमाण
 प्रमाणित नहीं है। अतः वादी संख्या 2 को
 उक्त प्रमाणों के अभाव में वादी संख्या 2 को
 अहकाम देकर वादी संख्या 2 को
 मान्यता दे। अतः वादी संख्या 2 को

निर्णय हुआ।



[Signature]
 न्यायाधीश
 कोर्ट